

प्रेषक

जिलाधिकारी,
महोबा

सेवा में

माननीय रजिस्टर महोदय,
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, फरीद कोर्ट हाउस,
इण्डिया गेट के पास, भारत सरकार,
नई दिल्ली-110001

पत्रांक *Ro camp*/क्षे.प्रदूषण कार्या/2019-20 दिनांक : 22 अक्टूबर, 2019
विषय - माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या 525/2019 मदन
पाल सिंह व अन्य बनाम यूपी स्टेट प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में
पारित आदेश दिनांक 31-05-2019 के अनुपालन में आख्या का प्रेषण ।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 31-05-2019 को आदेश पारित कर जनपद महोबा में स्थापित अवैध स्टोन कशरों के सम्बन्ध में तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त अनुक्रम में अवगत कराना है कि उक्त पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में तथ्यात्मक एवं एक्शन टेकेन रिपोर्ट का विवरण निम्नवत है :-

1. सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच 40227/सी-2/सामान्य-532/स्टोन कशर/19 दिनांक 21-08-2019 को जनपद महोबा में स्थापित अवैध स्टोन कशर के संयुक्त निरीक्षण हेतु जिला स्तर पर चार सदस्यीय समिति का गठन हेतु पत्र क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित किया गया । (छायाप्रति संलग्न-1)
2. उक्त 5 पत्र के आधार पर जिलाधिकारी, महोबा के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 633/राष्ट्रीय हरित/ओ.ए.एन./525/19/19 दिनांक 03-09-2019 को चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया । (संलग्नक-2)
3. उक्त समिति के द्वारा दिनांक 04-09-2019 को मेसर्स मां शारदा ग्रेनाइट महोबा, मेसर्स कृष्णा ग्रेनाइट कबरई महोबा, मेसर्स आरबी एसोसियेट कबरई महोबा, मेसर्स अरिहन्त ग्रेनाइट कबरई महोबा, मेसर्स पारस ग्रेनाइट कबरई महोबा व मेसर्स जय मां गंगोत्री ग्रेनाइट कबरई महोबा का संयुक्त निरीक्षण टीम के द्वारा किया गया, जिसके आधार पर उक्त सभी 06 स्टोन कशरों के विरुद्ध समिति के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गमन की संस्तुति बोर्ड को प्रेषित की गयी । (छायाप्रति संलग्न-3)
4. उक्त संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्या दिनांक 04-09-2019 की संस्तुति को जिलाधिकारी महोबा के पत्र संख्या 672/स्टोन कशर महोबा-एनजीटी ओए-525/19 दिनांक 05-09-2019 को उक्त सभी 06 स्टोन कशरों के विरुद्ध समिति के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981

१

१

यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गम की संस्तुति सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को भी संस्तुति की गयी ।
(छायाप्रति संलग्नक-4)

5. राज्य बोर्ड पत्रांक संख्या एच 41284/सी-2/एनजीटी-सेल-42/19 दिनांक 13-09-2019 को मेसर्स मां शारदा ग्रेनाइट महोबा, मेसर्स अरिहन्त ग्रेनाइट कबरई महोबा व मेसर्स जय मां गंगोत्री ग्रेनाइट कबरई महोबा व मेसर्स कृष्णा ग्रेनाइट कालीपहाड़ी को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत क्रमशः बन्दी निर्देश व बन्दी आदेश जारी किया गया, जिसका अनुपालन दिनांक 16-09-2019 को जिला प्रशासन के माध्यम से करा दिया गया है । मेसर्स पारस ग्रेनाइट बिलबई महोबा व आर.बी. एसोसियेट बिलबई महोबा को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गमन किया गया है । (छायाप्रति संलग्नक-5)

अतः मा. प्राधिकरण के आदेश दिनांक 31-05-2019 के अनुपालन में संयुक्त कृत कार्यवाही की आख्या सादर प्रेषित की जा रही है ।
संलग्नक - यथोपरि ।

भवदीय


(अवधेश कुमार तिवारी)
जिलाधिकारी, महोबा



संलग्नक - 1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No

1140227 / सी-2/सां-532/एनजीटी/19

दिनांक

Date 21/8/19

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बांदा।

पंजीकृत

संदर्भ-मा० एन०जी०टी० प्रकरण
अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-154/2018 सोसाइटी फॉर इन्वारोमेंट प्रोटेक्शन एवं बायोडायवर्सिटी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2019 के अनुपालन एवं जनपद महोबा में स्थापित/संचालित स्टोन कशर इकाइयों के निरीक्षण कर संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 600/नोडल अधि०महोबा/शासन/19 दिनांक 17.8.19 के साथ संलग्न प्रभारी अधिकारी (खनिज) महोबा के पत्र दिनांक 27.06.19 का संदर्भ लें। प्रभारी अधिकारी (खनिज) महोबा द्वारा पत्र दिनांक 27.06.19 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद महोबा के नोडल अधिकारी श्री जी०एस० प्रियदर्शी, सचिव एवं राहत आयुक्त, उ०प्र० शासन द्वारा जनपद महोबा में स्थापित एवं संचालित स्टोन कशरों के सम्बंध में अद्यतन स्थिति तथा ऐसे स्टोन कशरों, जोकि अवैध रूप से स्थापित/संचालित हैं तथा नियमों का उल्लंघन कर संचालित किये जा रहे हैं, के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए की पूर्ण विवरण सहित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अवगत हों कि जनपद महोबा में स्थापित स्टोन कशर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०- 154/2018 सोसाइटी फॉर इन्वारोमेंट प्रोटेक्शन एवं बायोडायवर्सिटी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में आंशिकतः हैं तथा जनपद महोबा में स्थापित/संचालित स्टोन कशरों का पूर्ण विवरण क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा स्तर से मा० एन०जी०टी० में दाखिल किया गया है, जिसके दृष्टिगत मा० एन०जी०टी० द्वारा उक्त ओ०ए० में दिनांक 12.07.19 को पारित आदेश के अंश निम्नवत हैं-

.....we direct the Counsel for the District Administration to seek instructions and inform the Tribunal about the status of the units, which do not have consent to operate in execution of the closure orders passed by the Board.

The District Magistrates of all the four Districts will ensure that all the stone crushing units which do not have consent will be closed and report to that effect may also be filed by them.

The District Magistrates of all the aforesaid Districts shall file affidavits to show that the compliance of the closure order issued by PCB has been made.....

उक्त के अनुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद महोबा में स्थापित/संचालित स्टोन कशरों के संयुक्त निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी, महोबा से व्यक्तिगत सम्पर्क कर प्रशासनिक अधिकारी की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की अन्तर्विभागीय टीमों के गठन हेतु कार्यवाही करें -

1. जिला खान अधिकारी, खनन विभाग, महोबा/नामित अधिकारी
2. जिला वन अधिकारी महोबा द्वारा नामित अधिकारी।
3. उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, महोबा द्वारा नामित अधिकारी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा/नामित अधिकारी


.....2/-

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

जिला स्तर पर गठित अन्तर्विभागीय टीमों के माध्यम से जनपद महोबा में स्थापित स्टोन कशर इकाइयों जिनके विरुद्ध बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी है के अनुपालन की अद्यतन स्थिति एवं जनपद महोबा में स्थापित समस्त स्टोन कशरों की पूर्ण विवरण सहित संयुक्त निरीक्षण की संकलित रिपोर्ट प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, महोबा को इस अनुरोध के साथ कि मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 154/2018 में पारित आदेश दिनांक 12.7.2019 के अनुपालन हेतु जनपद-महोबा में स्थापित/संचालित स्टोन कशरों के संयुक्त निरीक्षण हेतु जिला स्तर पर अन्तर्विभागीय टीमें गठित करने का कष्ट करें।


सदस्य सचिव

कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा (उ०प्र०)

पत्रांक : 638/राष्ट्रीय हरित /ओ०ए० सं० 525/19/19 दिनांक: 03/09/19
कार्यालय ज्ञाप

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० संख्या-525/2019 (मदन पाल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 जिसके द्वारा आदेशित किया है कि-

1. Allegation in this application is that illegal stone crusher units are being run near the agricultural land of the applicant in violation of environmental norms by Respondent Nos. 6 to 11 - M/s Prayagraj Granite (Present name Sharda Granite), M/s Paras Granite, M/s Krishna Granite Works, M/s R.I. Associate, M/s Arihant Granite (Old name M/s Shubham Granite) and M/s Ravi Granite in District Mahoba, U.P.


2. Let a factual and action taken report be furnished in the matter by the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate, Mahoba, UP within one month by e-mail : judicial-ngt@gov.in. 2 A copy of this order be sent each to the UPSPCB and the District Magistrate Mahoba, UP by e-mail for compliance.

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश की अनुपालनात्मक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित प्राधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन किया जाता है।

- | | |
|---|---------|
| 1. उपजिलाधिकारी, महोबा | अध्यक्ष |
| 2. पुलिस क्षेत्राधिकारी, महोबा | सदस्य |
| 3. जिला खान अधिकारी, महोबा | सदस्य |
| 4. डॉ माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा | सदस्य |

उपरोक्तानुसार गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा आज दिनांक 03.09.2019 को स्थल निरीक्षण सुनिश्चित कर गुण दोष आधारित संस्तुति सम्बन्धित आख्यायें कल दिनांक 04.09.2019 दोपहर 12.00 बजे तक अवलोकित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि आख्यायें उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

भवदीय


(अवधेश कुमार तिवारी)
जिलाधिकारी
महोबा

पृष्ठांकन सं०:

दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, महोबा।
2. उपजिलाधिकारी, महोबा।
3. गठित समिति के समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ कि संयुक्त निरीक्षण समिति की आख्या के तथ्यों से सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को दिनांक 05.09.2019 तक आख्यायें प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी
महोबा



क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा
 34 ए, निकट, संत-तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं०-2,
 चिल्ला रोड, बॉदा (उ०प्र०) पिन-210001

संदर्भ संख्या 666/राष्ट्रीय हरित अधिकारण/ओ०ए० सं० 525/19 दिनांक: 05/9/19

सेवा में,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 लखनऊ।

विषय-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० संख्या-525/2019
 (मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश
 दिनांक 31.05.2019 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित
 ओ०ए० सं०-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति प्राधिकारियों द्वारा
 स्टोन कशर M/s R.B. Associate Bilbai, Kabrai District Mahoba का निरीक्षण दिनांक 04.09.2019 को
 किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति पार्श्व पर छायांकित कर वायु (प्रदूषण निवारण एवं
 नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-31 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गमन
 की संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

 (निरंजन शर्मा)
 क्षेत्रीय अधिकारी

Inspection committee report in matter of Hon'ble NGT O.A. No. 525/2019 (Madan Rai Singh vs Pollution Control Board and others)

M/s R.B. Associate Bilbai, Kali Pahadi, Kabrai District Mahoba inspected on date 04-09-2019 by the under signed officers. At the time of inspection the representative of Industry Shri Premnarayan (Watchman) was present. Inspection report is as under-

1. M/s R.B. Associate Bilbai, Kali Pahadi Kabrai District-Mahoba is a stone crusher which product is stone gritt and stone dust by the crushing of stone bolder.
2. The main reason of Air Pollution (Public nuisance/dust) is dust generation during the crushing of stone bolders.
3. At the time of inspection stone crushing process found not operational (self closed). Physically it has observed that stone crusher is situated in cluster of stone crusher.
4. To control the dust emission the said stone crusher owner has installed Emission control system details are as bellow.

S.N.	Dust Air Pollution Control System	Installation and operational Status Dust Air Pollution Control System	Status of Consent (Air) Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981	Remark regarding Dust Air Pollution Control System and Public nuisance
1	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors.	Not Installed	Consent (Air) Permitted upto 31.12.2019 by the date of 27.07.2015. Industry has not submitted the compliance of letter No. 1687/ Notice/2017 Dated 23.02.2018 Regarding Proper Installation and operation of Dust control system	Stone Crushing process operation is objectionable in Future without proper Dust Air Pollution Control System and without prior Air consent. Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981
2	Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject. 'fine dust'.	Not Installed		
3	A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher.	Not Installed		
4	Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure.	Not Installed		
5	Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher.	Partial		

Note- The agriculture land of the complainant could not be identified as the name of Shree Madan Pal Singh. The father Name was not mention (Unknow).

Factual site inspection report is submitted for your kind consideration please.

(Signature)
 (Asstt. Scientific Officer)
 U.P. Pollution Control Board
 Banda

(Signature)
 (District Mining Inspector)
 Mahoba

(Signature)
 (Sub Divisional Magistrate)
 Mahoba

(Signature)
 Regional Officer
 U.P. Pollution Control Board
 Banda

(Signature)
 4/9/19



क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा
 34 ए, निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं०-2,
 चिल्ला रोड, बॉदा (उ०प्र०) पिन-210001

संदर्भ संख्या 668/राष्ट्रीय हरित अधिकारण/ओ०ए० सं० 525/19 दिनांक: 05/9/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 लखनऊ।

विषय-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० संख्या-525/2019
 (मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश
 दिनांक 31.05.2019 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित
 ओ०ए०सं०-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति प्राधिकारियों द्वारा
 स्टोन कशर M/s Maa Sharda Granite (Previous name M/s Prayagraj Granite) Bilbai, Kali Pahadi District
 Mahoba का निरीक्षण दिनांक 04.09.2019 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति पार्श्व
 पर छायांकित कर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-31
 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गमन की संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(निरंजन शर्मा)
 क्षेत्रीय अधिकारी

Inspection committee report in matter of Hon'ble NGT O.A. No. 525/2019 (Madan Pal Singh Vs Pollution Control Board and others)


M/s Maa Sharda Granite (Previous name M/s Prayagraj Granite) Bilbai, Kabrai District Mahoba inspected on date 04-09-2019 by the under signed officers. At the time of inspection the representative is not present. Inspection report is as under-


1. M/s Maa Sharda Granite Bilbai, Kabrai District-Mahoba is a stone crusher which product is stone gritt and stone dust by the crushing of stone bolder .
2. The main reason of Air Pollution (Public nuisance/dust) is dust generation during the crushing of stone bolders.
3. At the time of inspection stone crushing process found not operational (self closed). Physically it has observed that stone crusher is situated in cluster of stone crusher.
4. To control the dust emission the said stone crusher owner has installed Emission control system details are as bellow.

S.N.	Dust Air Pollution Control System	Installation and operational Status Dust Air Pollution Control System	Status of Consent (Air) Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981	Remark regarding Dust Air Pollution Control System and Public nuisance
1	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors.	Not Installed	Consent (Air) Permitted upto 31.12.2018 by the date of 05.07.2017 . Industry has not submitted the compliance of letter No. 1688/ Notice/2017 Dated 23.02.2018 Regarding Proper Installation and operation of Dust control system.	Stone Crushing process operation is objectionable in Future without proper Dust Air Pollution Control System and without prior Air consent. Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981.
2	Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject. 'fine dust'.	Not Installed		
3	A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher.	Not Installed		
4	Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure.	Not Installed		
5	Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher.	Not Installed		

Note- The agriculture land of the complainant could not be identified as the name of Shree Madan Pal Singh. The father Name was not mention (Unknow).

Factual site inspection report is submitted for your kind consideration please.


(Asstt. Scientific Officer)
U.P. Pollution Control Board
Banda


(District Mining Inspector)
Mahoba


(Sub Divisional Magistrate)
Mahoba


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Banda


4/9/19



क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा
 34 ए, निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं०-2,
 चिल्ला रोड, बॉदा (उ०प्र०) पिन-210001

संदर्भ संख्या 669/राष्ट्रीय हरित अधिकारण (ओ०ए० सं० 525/19) दिनांक: 05/9/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 लखनऊ।

विषय-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० संख्या-525/2019
 (मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश
 दिनांक 31.05.2019 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित
 ओ०ए०सं०-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति प्राधिकारियों द्वारा
 स्टोन कशर M/s Krishna Granite Bilbai, Kabrai District Mahoba का निरीक्षण दिनांक 04.09.2019 को
 किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति पार्श्व पर छायांकित कर वायु (प्रदूषण निवारण एवं
 नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-31 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गमन
 की संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय


 (निरज कुमार शर्मा)
 क्षेत्रीय अधिकारी

Joint Inspection committee report in matter of Hon'ble NGT O.A. No. 525/2019 (Madan Pal Singh vs U.P. Pollution Control Board and others)


M/s Krishna Granite Kali Pahadi, Kabrai District Mahoba inspected on date 04-09-2019 by the under signed officers. At the time of inspection the representative of Industry Shri Sumit Rajpoot (Munsi) was present. Inspection report is as under-

1. M/s Krishna Granite, Kali Pahadi, Kabrai District-Mahoba is a stone crusher which product is stone gritt and stone dust by the crushing of stone bolder.
2. The main reason of Air Pollution (Public nuisance/dust) is dust generation during the crushing of stone bolders.
3. At the time of inspection stone crushing process found operational. Physically it has observed that stone crusher is situated in cluster of stone crusher.
4. To control the dust emission the said stone crusher owner has installed Emission control system details are as below.

S.N.	Dust Air Pollution Control System	Installation and operational Status Dust Air Pollution Control System	Status of Consent (Air) Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981	Remark regarding Dust Air Pollution Control System and Public nuisance
1	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors.	Partial	Consent (Air) Permitted upto 31.12.2015 by the date of 03.09.2013 . Industry has not submitted the compliance of letter No. 1269/ Notice/2017 Dated 07.10.2017 Regarding Proper Installation and operation of Dust control system.	Stone Crushing process operation is objectionable in Future without proper Dust Air Pollution Control System and without prior Air consent. Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981
2	Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject. 'fine dust'.	Not Installed		
3	A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher.	Not Installed		
4	Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure.	Not Installed		
5	Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher.	Partial		

Note- The agriculture land of the complainant could not be identified as the name of Shree Madan Pal Singh. The father Name was not mention (Unknow).

Factual site inspection report is submitted for your kind consideration please.


(Asstt. Scientific Officer)
U.P. Pollution Control Board
Banda


(District Mining Inspector)
Mahoba


(Sub Divisional Magistrate)
Mahoba


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Banda





क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा
 34 ए, निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं०-2,
 चिल्ला रोड, बॉदा (उ०प्र०) पिन-210001

संदर्भ संख्या 664/राष्ट्रीय हरित अधिकारि/ओ०/ओ० सं. 525/19 दिनांक: 05/09/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 लखनऊ।

विषय-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० संख्या-525/2019
 (मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश
 दिनांक 31.05.2019 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित
 ओ०ए०सं०-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति प्राधिकारियों द्वारा
 स्टोन कशर M/s Arihant Granite (Old name M/s Shubham Granite) Bilbai, Kabrai District Mahoba का
 निरीक्षण दिनांक 04.09.2019 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति पार्श्व पर
 छायांकित कर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-31 (ए) के
 अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गमन की संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

 (निरज कुमार शर्मा)
 क्षेत्रीय अधिकारी

Inspection committee report in matter of Hon'ble NGT O.A. No. 525/2019 (Madan Pal Singh Vs

. Pollution Control Board and others)

M/s Arrihant Granite(Old name M/s Shubham Granite) Daharra Kabrai, District Mahoba inspected on date 04-09-2019 by the under signed officers. At the time of inspection the representative of Industry Sri Veerendra Kumar (Watchman) was present . Inspection report is as under-


1. M/s Arrihant Granite(Old name M/s Shubham Granite) Daharra Kabrai, District-Mahoba is a stone crusher which product is stone gritt and stone dust by the crushing of stone bolder .
2. The main reason of Air Pollution (Public nuisance/dust) is dust generation during the crushing of stone bolders.
3. At the time of inspection stone crushing process found not operational (self closed). Physically it has observed that stone crusher is situated in cluster of stone crusher.
4. To control the dust emission the said stone crusher owner has installed Emission control system details are as below.

S.N.	Dust Air Pollution Control System	Installation and operational Status Dust Air Pollution Control System	Status of Consent (Air) Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981	Remark regarding Dust Air Pollution Control System and Public nuisance
1	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors.	Not Installed	Consent (Air) Permitted upto 31.12.2018 by the date of 17.06.2017 . Industry has not submitted the compliance of letter No. 1686/ Notice/2017 Dated 23.02.2018 Regarding Proper Installation and operation of Dust control system.	Stone Crushing process operation is objectionable in Future without proper Dust Air Pollution Control System and without prior Air consent. Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981
2	Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject. 'fine dust'.	Not Installed		
3	A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher.	Not Installed		
4	Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure.	Not Installed		
5	Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher.	Not Installed		

Note- The agriculture land of the complainant could not be identified as the name of Shree Madan Pal Singh. The father Name was not mention (Unknow).


Factual site inspection report is submitted for your kind consideration please


(Asstt. Scientific Officer)
U.P. Pollution Control Board
Banda


(District Mining Inspector)
Mahoba


(Sub Divisional Magistrate)
Mahoba


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Banda





क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा
 34 ए, निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं०-2,
 चिल्ला रोड, बॉदा (उ०प्र०) पिन-210001

संदर्भ संख्या 671/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/ओ०ए०.525/19 दिनांक: 05/09/19

सेवा में,


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 लखनऊ।

विषय-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० संख्या-525/2019
 (मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश
 दिनांक 31.05.2019 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित
 ओ०ए०सं०-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति प्राधिकारियों द्वारा
 स्टोन क्वाररी M/s Paras Granite Bilbai, Kabrai District Mahoba का निरीक्षण दिनांक 04.09.2019 को किया
 गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति पार्श्व पर छायांकित कर वायु (प्रदूषण निवारण एवं
 नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-31 (ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गमन
 की संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

 (निरंजन शर्मा)
 क्षेत्रीय अधिकारी

Inspection committee report in matter of Hon'ble NGT O.A. No. 525/2019 (Madan Pal Singh Vs Pollution Control Board and others)


M/s Paras Granite Bilbai, Kabrai District Mahoba inspected on date 04-09-2019 by the under signed officers. At the time of inspection the representative of Industry Shri Santosh is present. Inspection report is as under-

1. M/s Paras Granite Bilbai, Kabrai District-Mahoba is a stone crusher which product is stone gritt and stone dust by the crushing of stone bolder .
2. The main reason of Air Pollution (Public nuisance/dust) is dust generation during the crushing of stone bolders.
3. At the time of inspection stone crushing process found not operational (self closed). Physically it has observed that stone crusher is situated in cluster of stone crusher.
4. To control the dust emission the said stone crusher owner has installed Emission control system details are as bellow.

S.N.	Dust Air Pollution Control System	Installation and operational Status Dust Air Pollution Control System	Status of Consent (Air) Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981	Remark regarding Dust Air Pollution Control System and Public nuisance
1	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors.	Not Installed	Consent (Air) Permitted upto 31.12.2019 by the date of 26.11.2015 . Industry has not submitted the compliance of letter No. 1690/ Notice/2017 Dated 23.02.2018 Regarding Proper Installation and operation of Dust control system	Stone Crushing process operation is objectionable in Future without proper Dust Air Pollution Control System and without prior Air consent. Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981
2	Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject. 'fine dust'.	Not Installed		
3	A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher.	Not Installed		
4	Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure.	Not Installed		
5	Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher.	Partial		

Note- The agriculture land of the complainant could not be identified as the name of Shree Madan Pal Singh. The father Name was not mention (Unknow).
Factual site inspection report is submitted for your kind consideration please.


(Asstt. Scientific Officer)
U.P. Pollution Control Board
Banda


(District Mining Inspector)
Mahoba


(Sub Divisional Magistrate)
Mahoba


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Banda





क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा
 34 ए. निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं०-2,
 चिल्ला रोड, बॉदा (उ०प्र०) पिन-210001

संदर्भ संख्या 64/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/डी.ए. सं० 525/19 दिनांक: 05/9/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
 लखनऊ।

विषय-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० संख्या-525/2019
 (मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश
 दिनांक 31.05.2019 की अनुपालनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, महोबा के पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित
 ओ०ए०सं०-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति प्राधिकारियों द्वारा
 स्टोन क्वार M/s Jai Maa Gangotry Granite (Old Name M/s Ravi Granite) Bilbai, Kabrai District Mahoba
 का निरीक्षण दिनांक 04.09.2019 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति पार्श्व पर
 छायांकित कर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-31 (ए) के
 अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गमन की संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय
 (निरंजन शर्मा)
 क्षेत्रीय अधिकारी

~~37/11~~

Inspection committee report in matter of Hon'ble NGT O.A. No. 525/2019 (Madan Pal Singh Vs Pollution Control Board and others)


M/s Jai Maa Gangotry Granite (Old Name M/s Ravi Granite) Kali Pahadi, Kabrai District Mahoba inspected on date 04-09-2019 by the under signed officers. At the time of inspection the representative of industry Shri Mukesh (Munsi) was present. Inspection report is as under-

1. M/s Jai Maa Gangotry Granite (Old Name M/s Ravi Granite) Kali Pahadi District-Mahoba is a stone crusher which product is stone gritt and stone dust by the crushing of stone bolder.
2. The main reason of Air Pollution (Public nuisance/dust) is dust generation during the crushing of stone bolders.
3. At the time of inspection stone crushing process found not operational (self closed).. Physically it has observed that stone crusher is situated in cluster of stone crusher.
4. To control the dust emission the said stone crusher owner has installed Emission control system details are as bellow.

S.N.	Dust Air Pollution Control System	Installation and operational Status Dust Air Pollution Control System	Status of Consent (Air) Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981	Remark regarding Dust Air Pollution Control System and Public nuisance
1	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e, the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers, with arrangements of a door-with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors.	Not Installed	Consent (Air) Permitted upto 31.12.2018 by the date of 14.03.2017. Industry has not submitted the compliance of letter No. 835/ Notice/2017 Dated 16.08.2017 Regarding Proper Installation and operation of Dust control system.	Stone Crushing process operation is objectionable in Future without proper Dust Air Pollution Control System and without prior Air consent. Under Section-21 of Air (Pollution Prevention and Control) Act 1981
2	Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering/truck-loading the product, 'stone dust' and the reject, 'fine dust'.	Not Installed		
3	A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall should be provided by stone crusher.	Not Installed		
4	Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipments and transfer points should be adopted as an auxiliary air pollution control measure.	Not Installed		
5	Green belt along the boundary wall needs to be developed by stone crusher.	Partial		

Note- The agriculture land of the complainant could not be identified as the name of Shree Madan Pal Singh. The father Name was not mention (Unknow).
Factual site inspection report is submitted for your kind consideration please.


(Asstt. Scientific Officer)
U.P. Pollution Control Board
Banda


(District Mining Inspector)
Mahoba


(Sub Divisional Magistrate)
Mahoba


Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Banda





गुलामिया
28/9/19

27/02/19-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / 28/9/19/4-2/NGT Cell-42/2019
Ref. No.

दिनांक 13-9-19
Date

सेवा में,
जिलाधिकारी,
महोबा ।

ई-मेल

संदर्भ :- मा० एन०जी०टी

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० संख्या-525/2019 (मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र संख्या-672/स्टोन कशर महोबा-एनजीटी 0525/19 दिनांक 05.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओ०ए० सं० 525/2019 मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 में उल्लेखित स्टोन कशर इकाईयों के संयुक्त निरीक्षण हेतु आप द्वारा उपजिलाधिकारी, महोबा की अध्यक्षता में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के दृष्टिगत स्टोन कशर इकाईयों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड को दिनांक 05.09.2019 को प्राप्त हुई। समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्याओं के दृष्टिगत स्टोन कशरों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की गई। स्टोन कशर इकाईयों को जारी आदेश की प्रति संलग्न है।

1. मैसर्स माँ शारदा ग्रेनाइट (पूर्वनाम मैसर्स प्रयागराज ग्रेनाइट), बिलबाई, कबरई, महोबा ।
2. मैसर्स अरिहन्त ग्रेनाइट (पूर्वनाम मैसर्स शुभम ग्रेनाइट), डहरा, कबरई, महोबा ।
3. मैसर्स जय माँ गंगोत्री ग्रेनाइट (पूर्वनाम मैसर्स रवि ग्रेनाइट), काली पहाड़ी, कबरई, महोबा ।

उक्त इकाईयों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अंतर्गत बंदी निर्देश जारी किये गये हैं ।

1. मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, काली पहाड़ी, कबरई, महोबा ।

उक्त इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अंतर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है ।

1. मैसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबाई, कबरई, महोबा ।

2. मैसर्स आर०बी० एसोसियेट्स, बिलबाई, काली पहाड़ी, कबरई, महोबा ।

उक्त इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं ।

माननीय एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 के मुख्य अंश निम्नवत हैं

"..... 1. Allegation in this application is that illegal stone crusher units are being run near the agricultural land of the applicant in violation of environmental norms by Respondent Nos. 6 to 11 - M/s Prayag Raj Granite (Present name Sharda Granite), M/s Paras Granite, M/s Krishna Granite Works, M/s R.B. Associate, M/s Arihant Granite (Old name M/s Shubham Granite) and M/s Ravi Granite in District Mahoba, U.P.

2. Let a factual and action taken report be furnished in the matter by the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate, Mahoba, UP within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in....."

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त ओ0ए0 संख्या में उल्लेखित स्टोन कशर इकाईयों को बोर्ड द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन एवं मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 31.05.19 के अनुपालन में ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 को ई-मेल - judicial-ngt@gov.in पर ससमय फाइल कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
नोडल (एन.जी.टी. सेल)

प्रतिलिपि-

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा को इस निर्देश के साथ कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 525/2019 मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन हेतु बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी, महोबा से सम्पर्क कर ससमय कार्यवाही करते हुए ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट मा0 एन.जी.टी. में फाइल किया जाना एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट बोर्ड अधिवक्ता श्री प्रदीप मिश्रा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. विधि अधिकारी-प्रथम, बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता एडवोकेट ऑन रिकार्ड, बी-235, सेक्टर-19, नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
नोडल (एन.जी.टी. सेल)

①

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
नोडल (एन.जी.टी. सेल)

9/6/15

सजावट-5
कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा (उ०प्र०)

पत्रांक : 672/ स्टोन क्वेशर महोबा- NGT OA 525/19 दिनांक: 05-9-2019
सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० संख्या-525/2019 (मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ०ए० संख्या-525/2019 (मदन पाल सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 31.05.2019 के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण समिति का गठन पत्रांक 633/राष्ट्रीय हरित/ओ०ए० संख्या-525/2019 दिनांक 03.09.2019 द्वारा किया गया तथा संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 04.09.2019 में M/s Prayag Raj Granite (Present name Sharda Granite), M/s Paras Granite, M/s Krishna Granite Works, M/s R.B. Associate, M/s Arihant Granite (Old name M/s Shubham Granite) and M/s Ravi Granite in District Mahoba, U.P. उद्योगों का निरीक्षण किया गया है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि उपरोक्त वर्णित स्टोन क्वेशर इकाइयों में स्टोन क्वेशिंग प्रक्रियाओं के संचालन से उत्पन्न डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार पूर्ण डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण व्यवस्थायें अधिष्ठापित नहीं हैं।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या के दृष्टिगत स्टोन क्वेशर इकाइयों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-31 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक : निरीक्षण आख्यायें।

भवदीय
05/09/19
(अवधेश कुमार तिवारी)
जिलाधिकारी
महोबा